

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/247

दिनांक :- 19.7.2012

संमस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,.....  
.....।

विषय :- दिनांक 24.07.12 तक प्रमाणी करण हेतु निदेशालय में उपस्थित होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवमानना प्रकरणों में कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत आदेश दिनांक 18.07.2012 विभागीय वेपसाईट पर अपलोड किये जा चुके हैं। उक्त आदेशानुसार वेतन स्थिरीकरण कर मय सेवापुस्तिका सम्बन्धित लिपिक/लेखाकार सहित निदेशालय में दिनांक 24.07.12 तक प्रमाणी करण हेतु उपस्थित हों।

प्रकरण अवमानना का है, अतः इसे प्राथमिकता दें।



निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/248

दिनांक : 19-7-2012

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/243 एवं 244 दिनांक 18.07.12 क्रम संख्या 71 एवं 70 पर श्रीमती स्मिता तलवार, व्याख्याता ग्रहविज्ञान को वरिष्ठ वेतनमान की दिनांक 27.07.98 के स्थान पर 27.07.99 पढी जावे एवं चयनित वेतनमान की दिनांक 27.07.03 के स्थान पर दिनांक 27.07.04 पढी जावे।

निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/248

दिनांक : 19-7-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश के अनुसार इनका वेतन स्थिरीकरण कर अविलम्ब एरियर का भुगतान कर फैंक्स द्वारा सूचित करें।  
कर अविलम्ब एरियर राशि का भुगतान कर फैंक्स द्वारा सूचित करे।
7. संबंधित व्याख्याता।
8. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. वाद प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. स्थापना शाखा/विधि शाखा
12. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर